Tejendra Singh
Advocate
Ch No. 97 Civil Court
GHAZIABAD. (U.P.)

5635

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
   (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औधोगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
4- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं0 38 के खसरा नं0 30,
5- मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) 0.2072 हैक्टेयर

1,980,832.00	1,024,000.00	[illegible]0.00	20	5,020.00	[illegible],000
प्रतिफल	मालियत	नकल व प्रति शुल्क		योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती बेगराज सिंह

पुत्र / पत्नी श्री नारायण सिंह

पेशा सेवानिवृत

निवासी स्थायी ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा गाजियाबाद

अस्थायी पता उक्त

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/8/2006 [illegible] PM

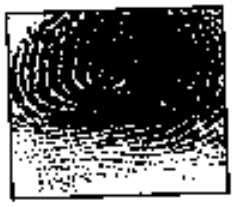

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
18/8/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती बेगराज सिंह
पुत्र/पत्नी श्री नारायण सिंह
पेशा सेवानिवृत
निवासी ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
गाजियाबाद

श्री/श्रीमती सुखबीर सिंह
पुत्र/पत्नी श्री सरूप सिंह
पेशा नौकरी
निवासी सी. 131 गोल्फ व्यू अपार्टमेन्ट साकेत नई दिल्ली 17

ने निष्पादन स्वीकार किया।

6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.2072 हैक्टेयर

7- सडक की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक

8- अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) N.A

9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि

10. प्रतिफल की धनराशि 19,80,832/ रूपये

जिनकी पहचान श्री आइ. पी. सिंह
पुत्र श्री मेगराज सिंह
पेशा व्यापार
निवासी के. एच./सी- एच. 3 कवि नगर गा. बाद
व श्री विवेक सिंह तोमर
पुत्र श्री डा. एस.एस. तोमर
पेशा वकालत
निवासी 262 लोयर्स चेम्बर हाईकोर्ट नई दिल्ली

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गए हैं।

के. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
18/8/2006

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता

Registration No.: 5635 Year 2006 Book No.: 1

0101 वेगराज सिंह

[illegible] सिंह

ग्राम [illegible]

[illegible]

विक्रेता का विवरण:-

1. नाम बेगराज सिंह
   पिता का नाम
   श्री नारायन सिंह
   स्थाई पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
   अस्थाई पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
   व्यवसाय

क्रेता का विवरण:-

1. नाम सुखबीर सिंह
   पिता का नाम
   श्री सरूप सिंह
   स्थाई पता साकेत नई दिल्ली
   अस्थाईपता साकेत नई दिल्ली
   व्यवसाय व्यापार

क्रेता

Registration No. : 5635 Year : 2006 Book No. : 1

0201 सुखबीर सिंह

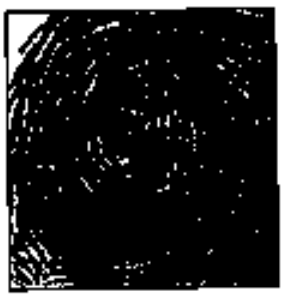

राजा सिंह

सी. 13 [illegible] व्यू अपार्टमेन्ट [illegible] नई दिल्ली 17

नौकरी

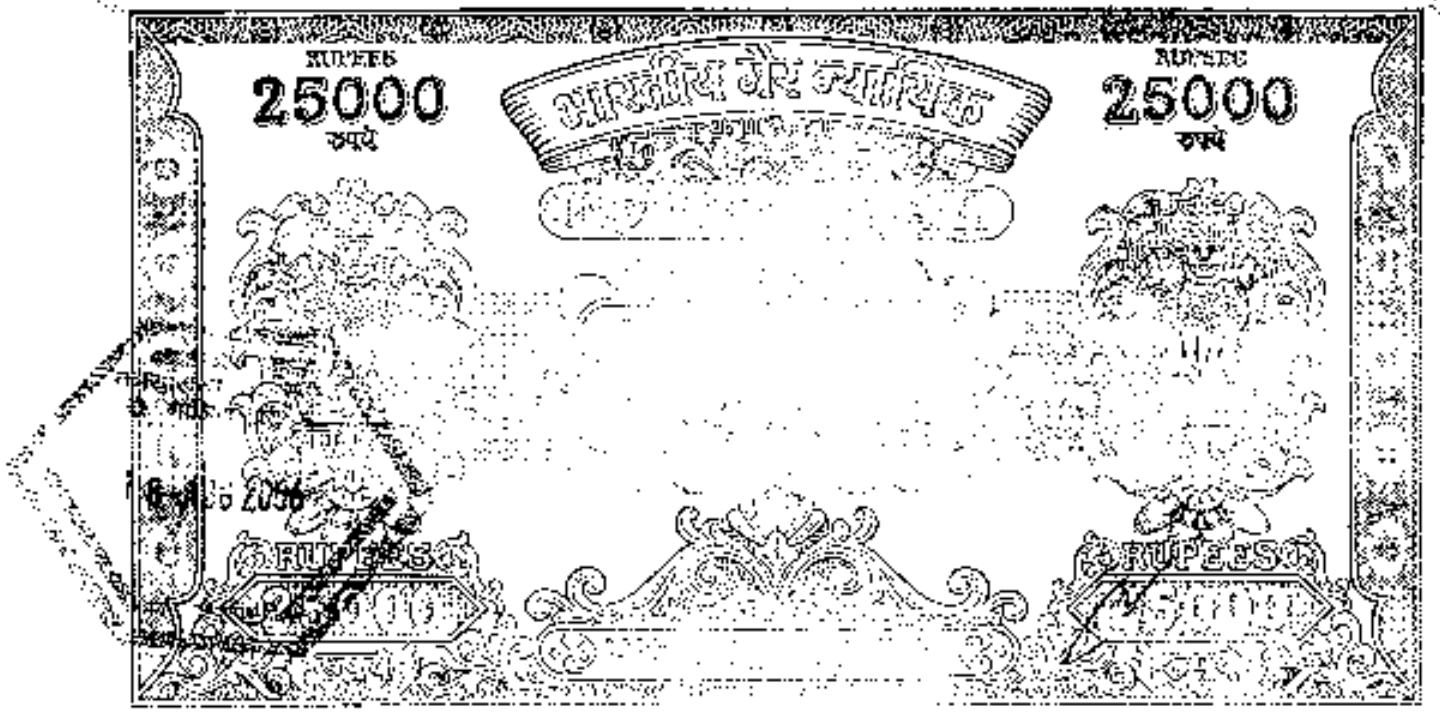

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5) 160696

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 19,80,832/ रूपये
स्टाम्प पेपर अंकन : 1,98,100/ रूपये

मै कि बेगराज सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह निवासी- ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (फरीक अव्वल, विक्रेता) ।

मैसर्स व्यूटर रिअल स्टेट एण्ड लैण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर एन.एफ.सी. नई दिल्ली द्वारा श्री सुखबीर सिंह पुत्र स्वा0 श्री सरूप सिंह,सी-131,गोल्फव्यू अपार्टमेन्ट, साकेत नई दिल्ली-17 अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम क्रेता)।

Tejendra Singh
Advocate
Ch. No. 297.C
GHAZIABAD

18 AUG 2006

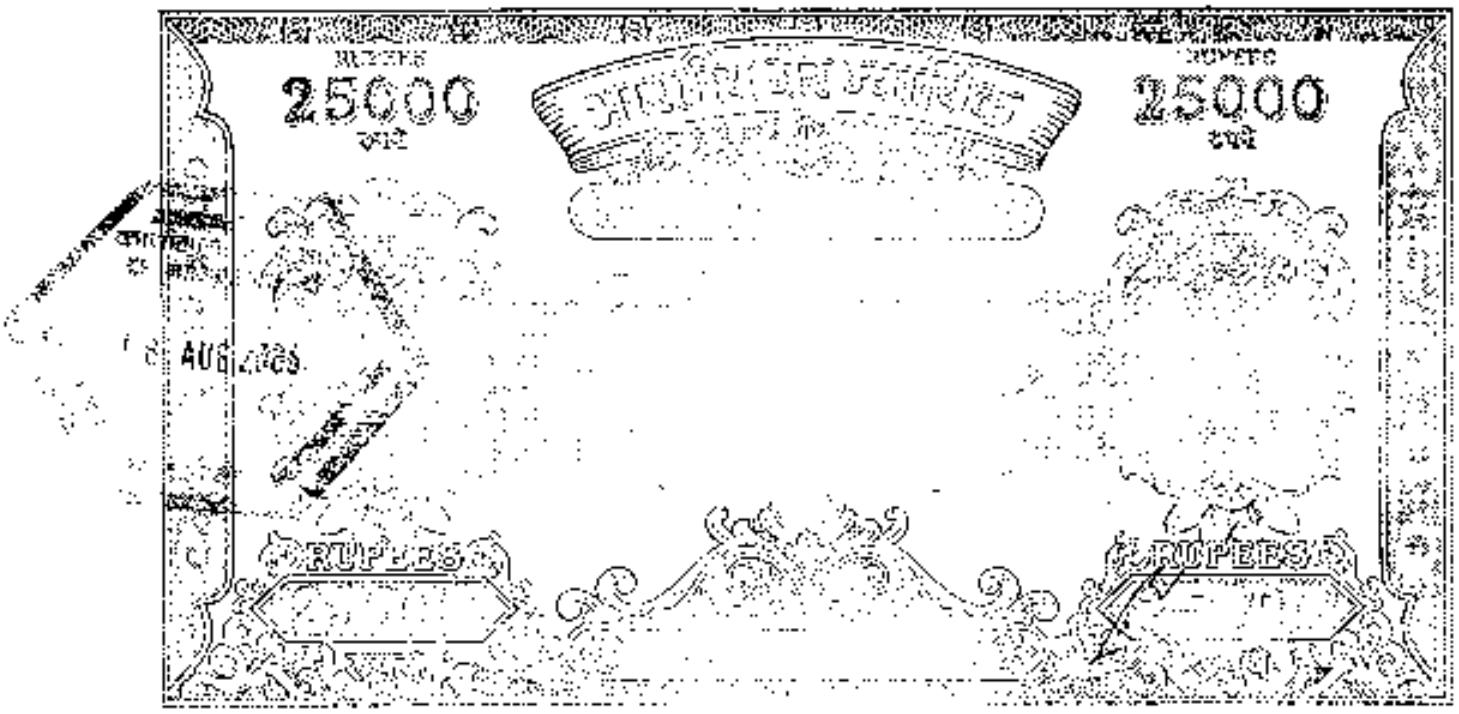

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) 160695

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 38 के खसरा नं0 30 रकबई 1.1050 हैक्टेयर का 3/16 भाग रकबई 0.2072 हैक्टेयर अनुसार खतौनी 1408 ता 1413 फसली जिसके फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, संक्रमणीय भूमिधर दर्ज मालकागजात है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया गया। विक्रीत भूमि हम फरीक अव्वल (विक्रेता) की पैतृक भूमि है जिसके हम फरीक अव्वल से पहले हमारे पिता स्व0 श्री नारायन सिंह पुत्र स्व0 श्री

मालिक थे।

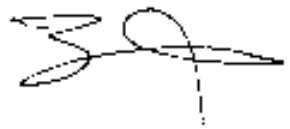

Tejendra Singh
Advocate
Ch. No-297 Civil Court
GHAZIA

18 AUG 2006

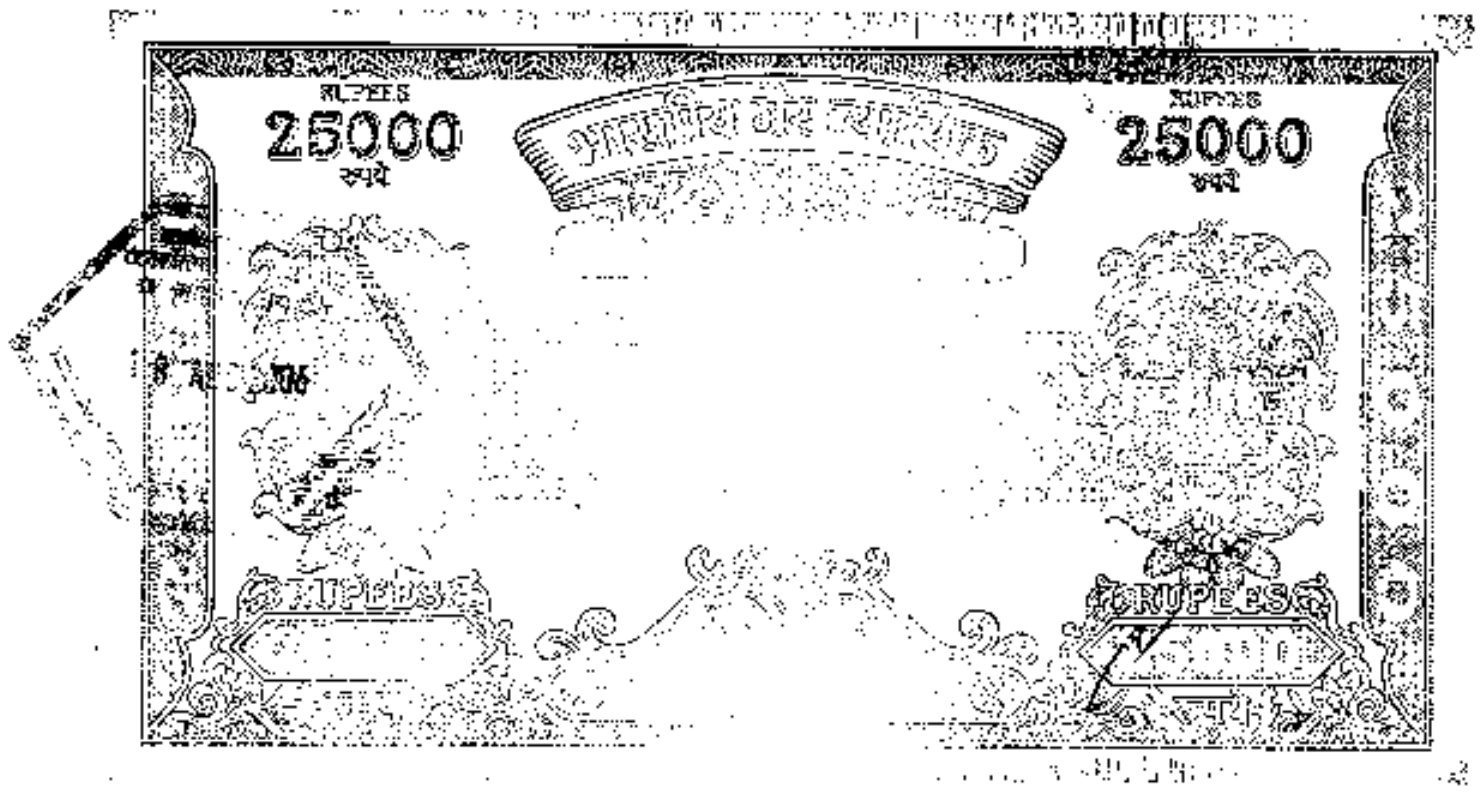

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) 160694

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 32,25,725/-रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन इस विक्रय पत्र मे सर्किल रेट के दोगुने से अधिक रू0 95,60,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर की मसौदाकर्तादर से अंकन 19,80,832/-रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार आठ सौ बत्तीस रूपये मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

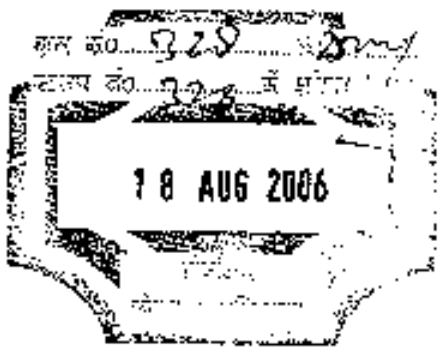
18 AUG 2006

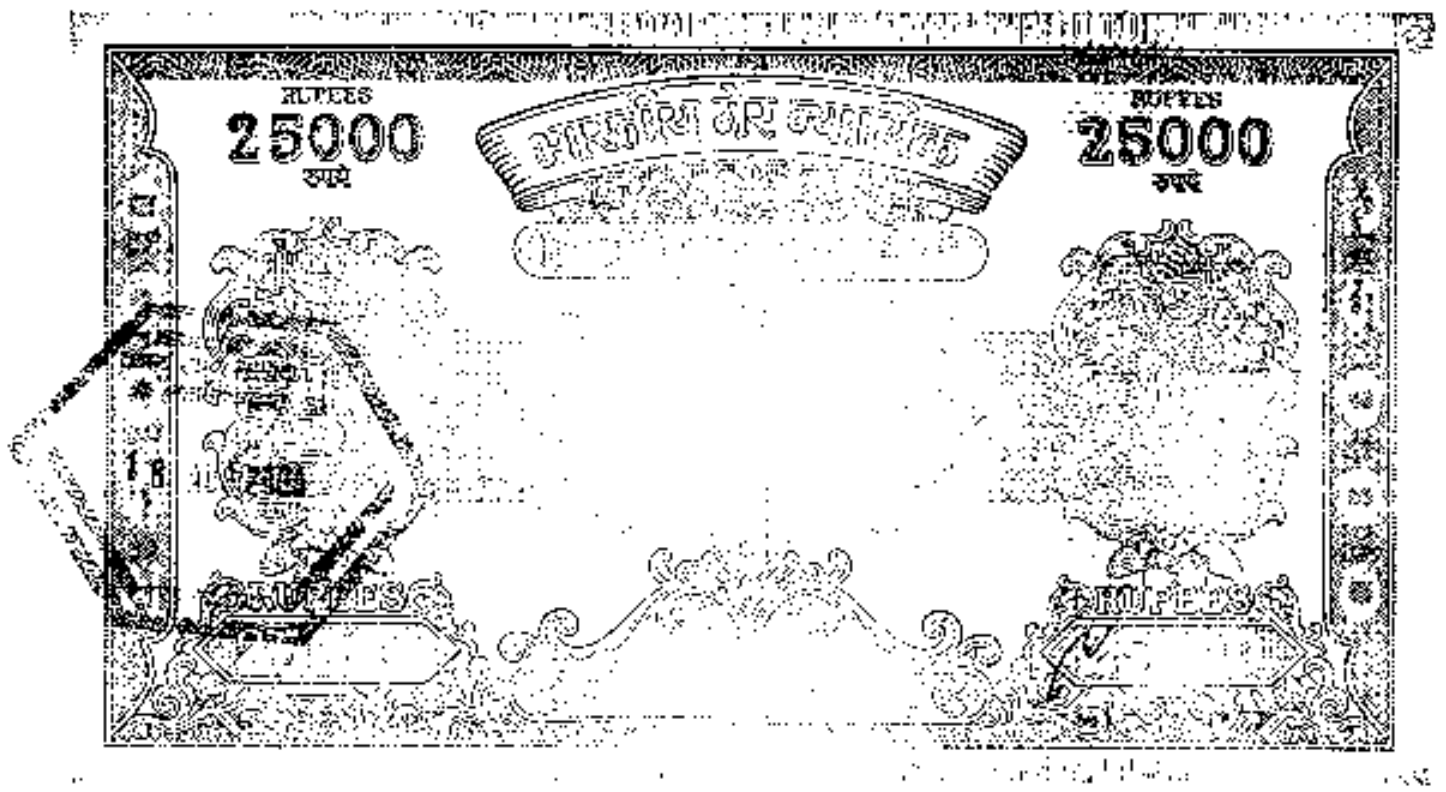

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (४) 160693

(4) विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, एस्टे आदि की भूमि नही है और न ही निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है इस सन्दर्भ मे विक्रेता ने संबन्धित श्री भान् तहसीलदार महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तथा विक्रीत भूमि किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कार्य हेतु अधिग्रहण के लिये अधिसूचित नहीं की गयी है।

(5) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय मे स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यापूर्वक अनुपालन किया गया है।

18 AUG 2006

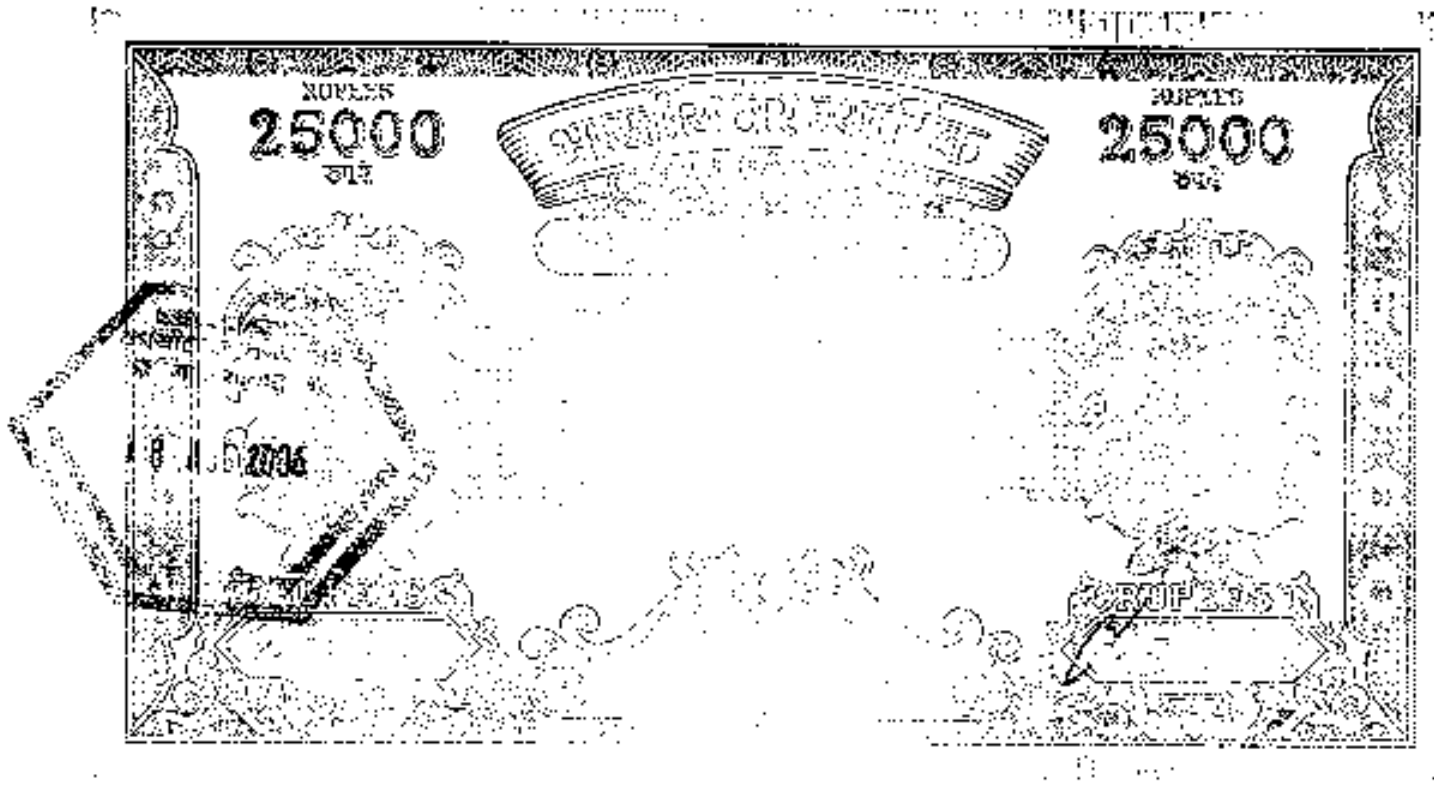

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (9) 160692

(6) यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व मे मौखिक इकरारनामा भी दोनो पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है। तत्समय विक्रेता (फरीक अव्वल) ने बजरिये कांटेक महिन्द्रा बैंक लि0 शाखा डी-960 फैंडस कालौनी, न्यू दिल्ली, का चैक नम्बर 000015 दिनांकित 22.06.2006 अंकन 1,98,083/-रूपये (एक लाख अट्ठानवें हजार तिरासी रू0 मात्र) को अग्रिम में प्राप्त कर लिये थे।

(7) विक्रीत भूमि खाता नं0 38 के खसरा नं0 30 रकबई 1.1050 हैक्टेयर का 3/16 भाग रकबई 0.2072 हैक्टेयर, स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद को आज इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किया जा रहा है। अब विक्रित भूमि उक्त में विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण व वारिसान का कोई भाग व कुर्स शेष नहीं रहा है।

16 AUG 2006

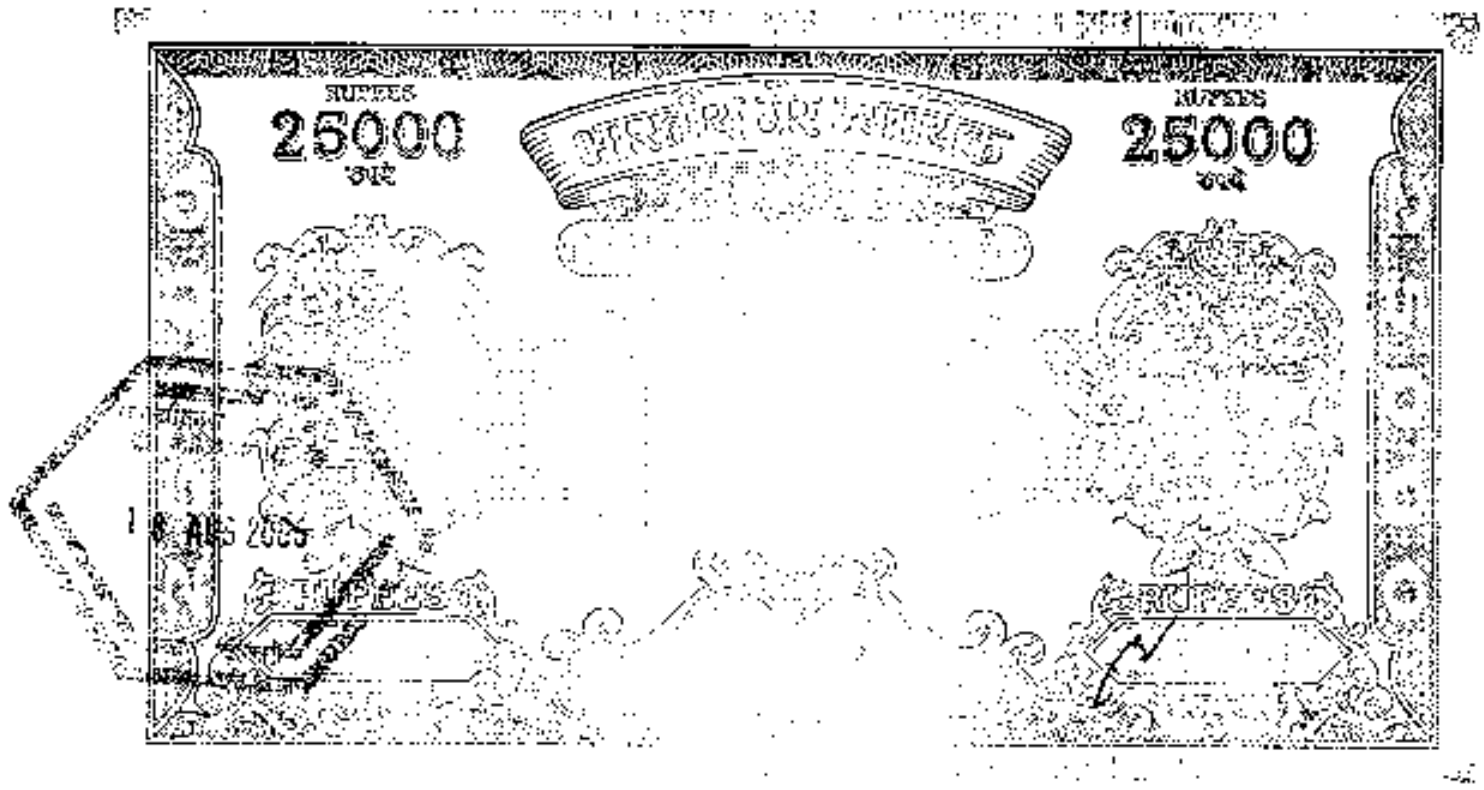

25000 रुपये RUPEES 25000

भारतीय गैर न्यायिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10) 160691

(8) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, व नक्शा व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(9) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है कही अन्य जगह असह, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नही है।

(10) विक्रीत भूमि उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का डयूज भी नही है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी मान्य न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णित आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

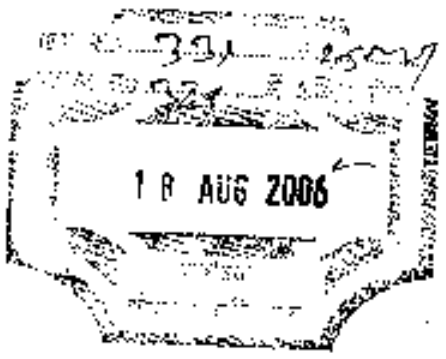

18 AUG 2006

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

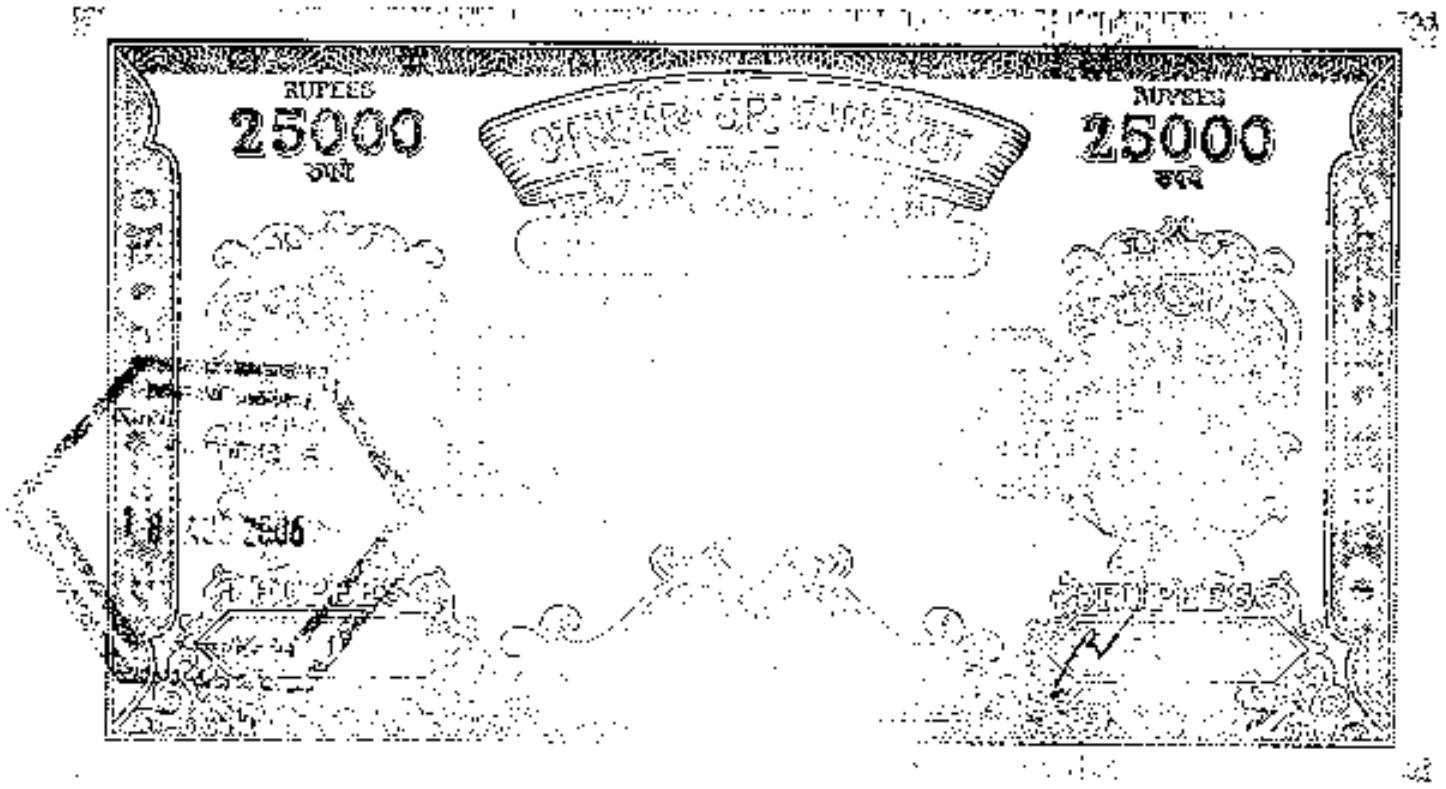

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (II) 160690

(11) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय मे कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त हैं उपरोक्त वर्णित /अल्लिखित भूमि के संबध मे हम विक्रेतागण ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक मे कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न ही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरोक्त अव्वल व उनके वारिसान होंगे ।

18 AUG 2006

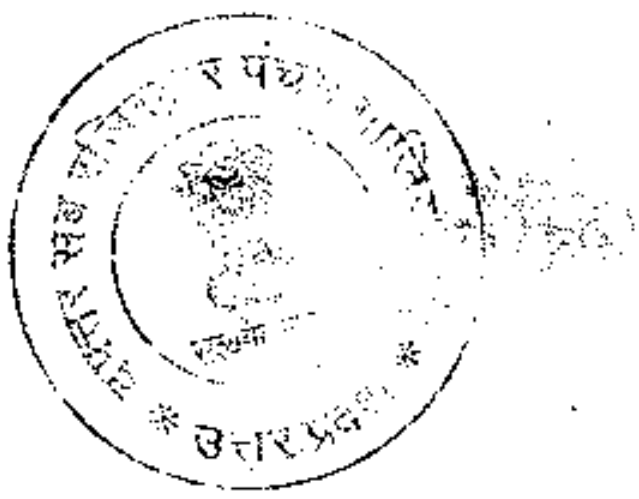

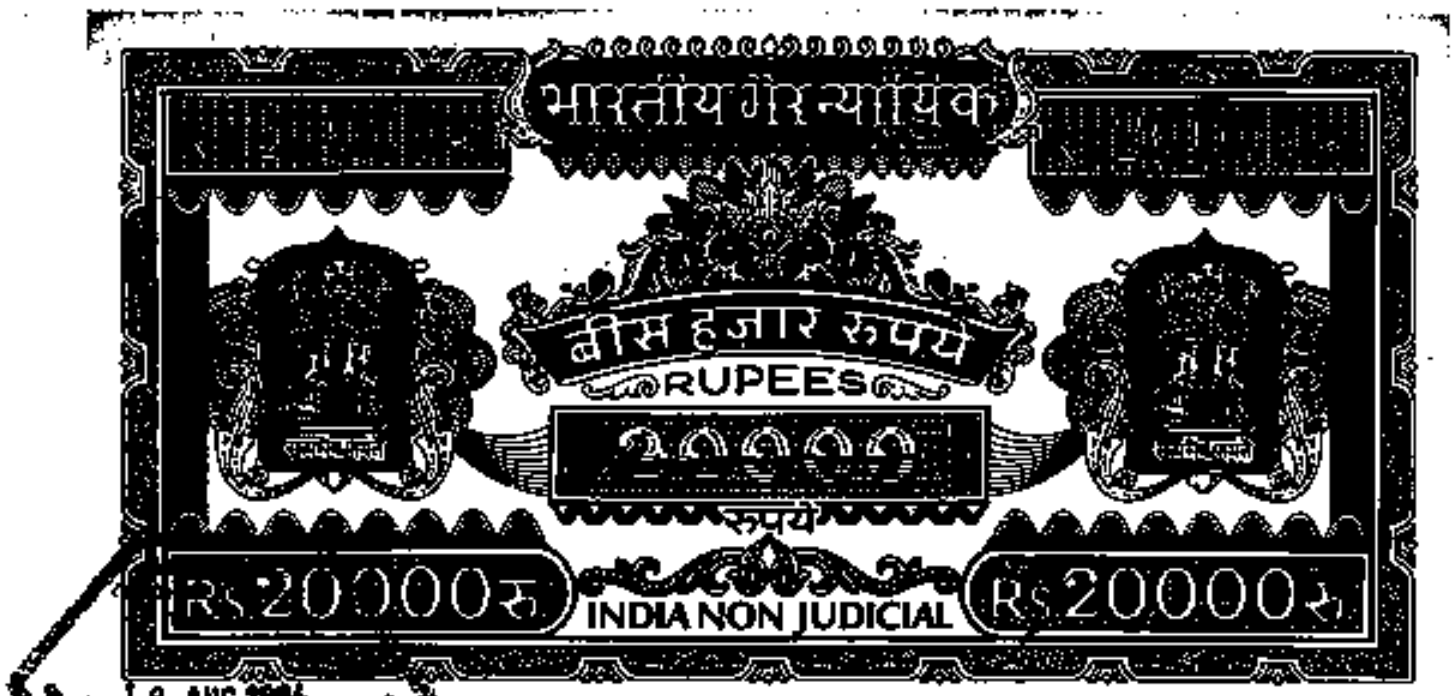

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

18 AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

080568

(12)

(12) हम विक्रेतागण को विक्रय पत्र मे वर्णित उक्त खाता नं0 38 के खसरा नं0 30 रकबई 1.1050 हैक्टेयर का 3/16 भाग रकबई 0.2072 हैक्टेयर स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना कासना तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेतागण को घरेलू खर्चो कारज एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसे की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व बहकावे के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा मे अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, कायम मराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख मे विक्रय बइवजी अंकन 19,80,832/-रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार आठ सौ बत्तीस रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 9,90,416/-रूपये (नौ लाख नब्बे हजार चार सौ सौलह रूपये मात्र) होते है के एवज मे हक फर्म क्रेता मैसर्स रियल स्टेट एण्ड प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैन्टर एन.एफ.सी. नई दिल्ली द्वारा श्री सिंह पुत्र स्व0 श्री सिंह,सी-131, अपार्टमेन्ट, नई दिल्ली-17 अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बेच

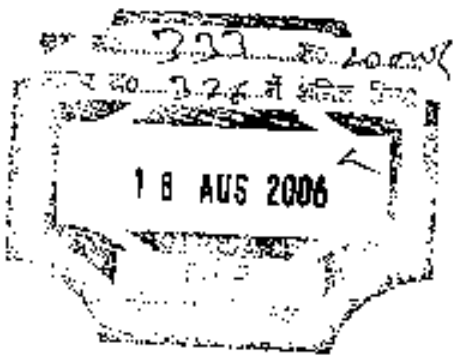
18 AUG 2006

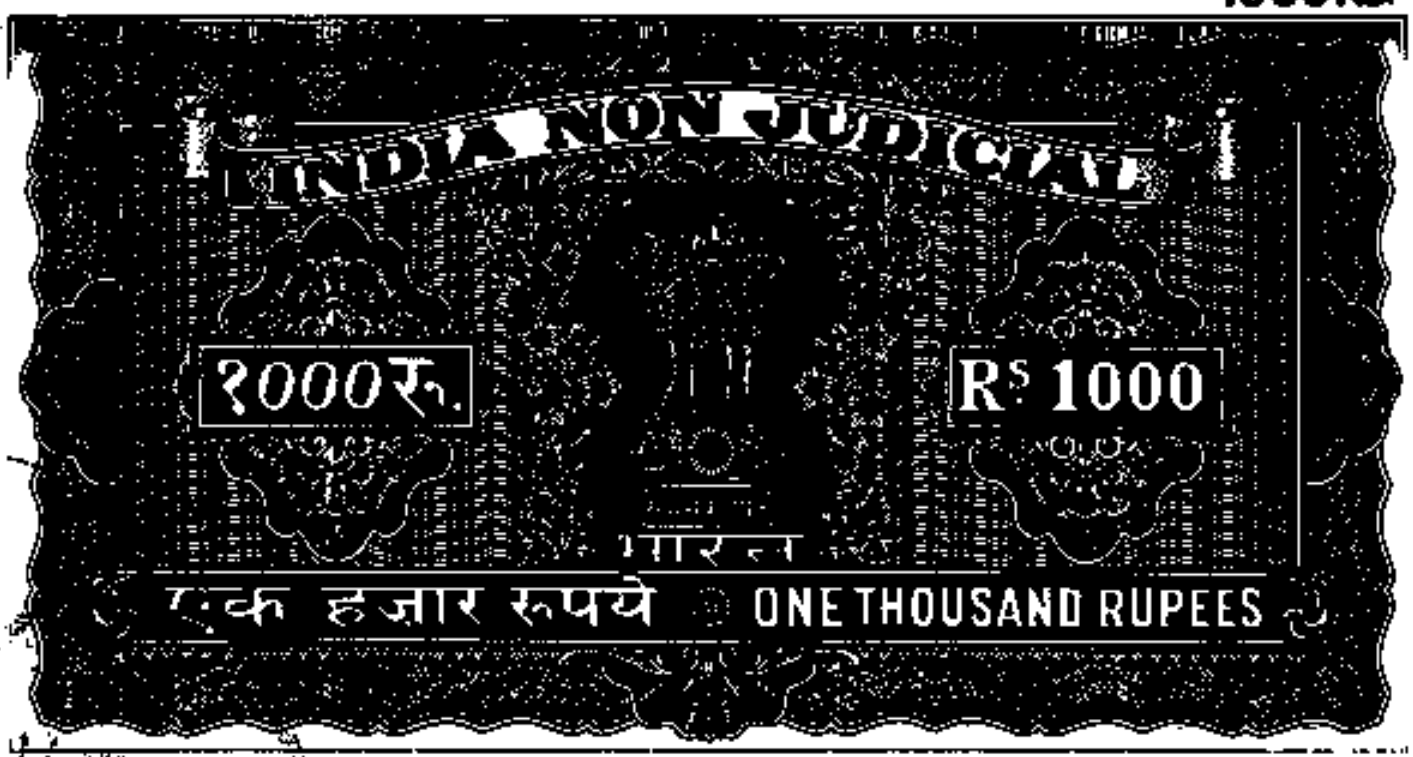

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

664819

(13)

कर दिया है यानि कब्जा सौंप दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि पूरा विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

(13) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिससे क्रेता पूर्णतःमालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे व्यक्तिगत मालकाना प्रयोग में लावें।

(14) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत [illegible] दाखिल खारिज [illegible] क्रेता का नाम दर्ज [illegible] करवा सकते है तथा [illegible] के [illegible] सकते है, [illegible] कोई [illegible] नहीं होगा।

1 8 AUG 2006

1000Rs.

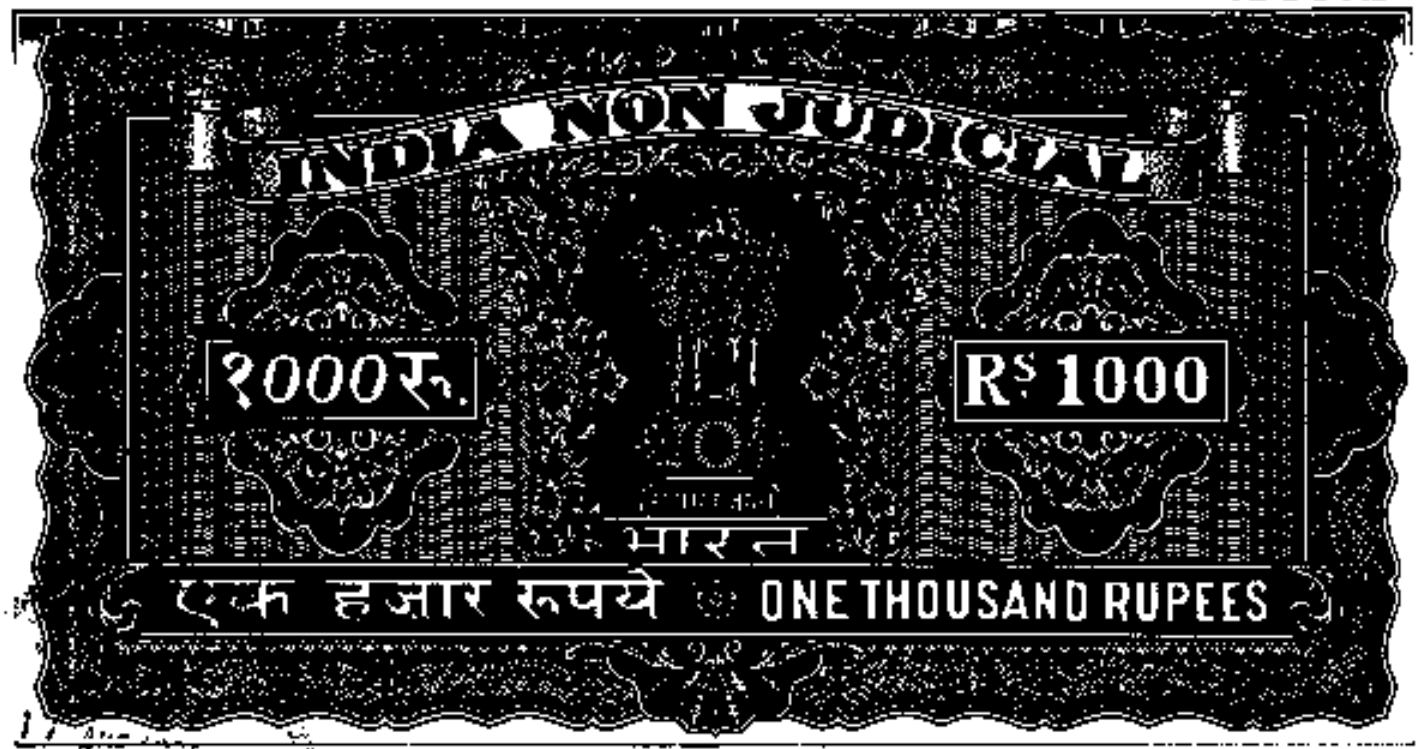

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

R$ 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

664818

(15) अतः अब विक्रय पत्रक विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य पर अब किसी प्रकार से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(16) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता व स्थानापन्न को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अपअधिकार से या वारिसान विक्रेता की लापरवाही या किसी कानूनी त्रुटि आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन्न के कब्जे दखलकार से निकल जावे, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन्न व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की रकम कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की कमरासी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें वसूल कर सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

18 AUG 2006

1000Rs.

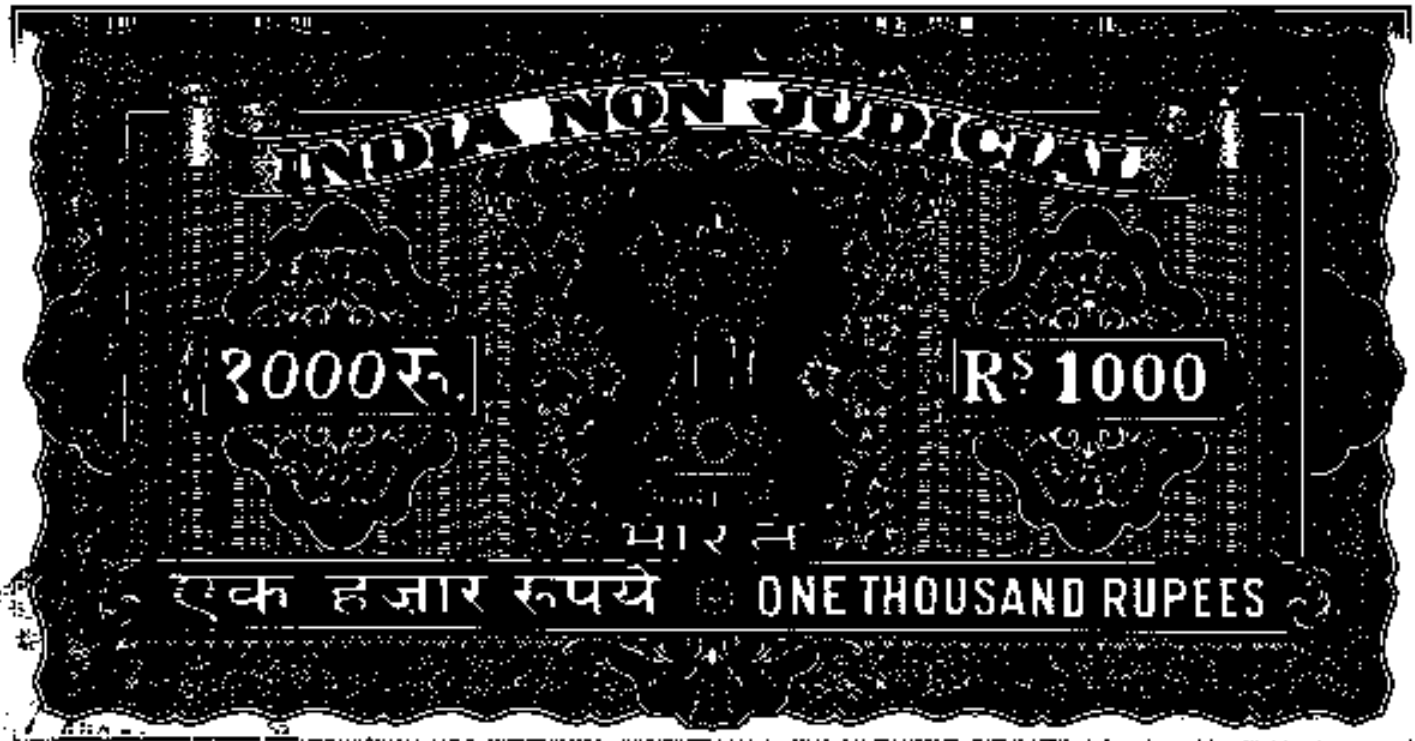

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

664817

(15)

(17) यह कि [illegible] [illegible] ने विक्रीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी मूल दस्तावेज(मूल बैनामा पूर्ण [illegible] [illegible] पत्र, खतौनी, मूल पट्टा, व न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति आदि) जो विक्रेता के पास उपलब्ध है, उन्हें क्रेता को सौंप दिया है।

(18) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(19) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, पढ़कर व पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

18 AUG 2006

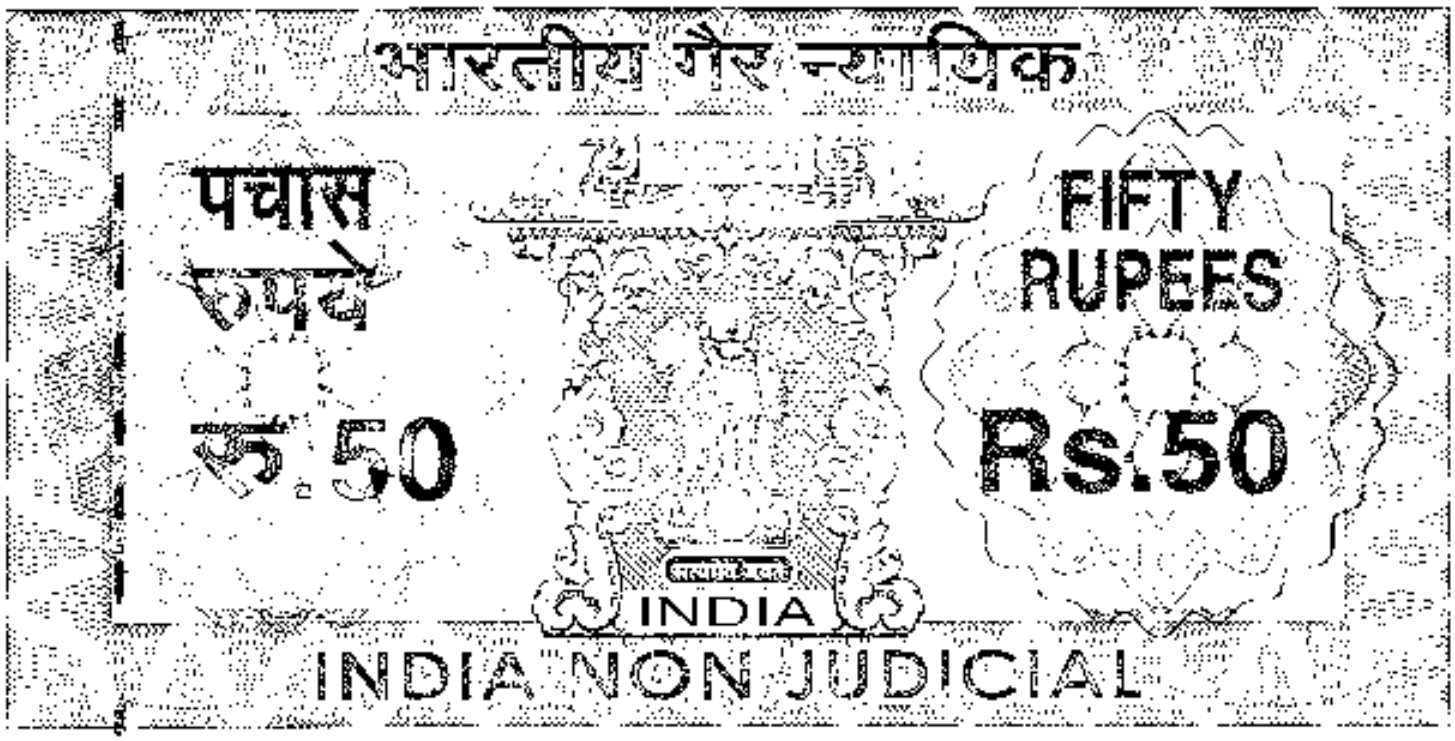

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 801943

(16)

(20) विक्रेता ने अपने विक्रीत 3/16 भाग भूमि रकबई 0.2072 हैक्टेयर, खाता नं0 38 के खसरा नं0 30 स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(अ) बैंक कोटेक महिन्द्रा बैंक लि0 शाखा डी-960 फैंडस कालौनी, नई दिल्ली का चैक नम्बर 000015 दिनांकित 22.06.2006 अंकन 1,98,083/-रूपये (एक लाख अट्ठानवे हजार तिरासी रू0 मात्र) फरीक अव्वल द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

18 AUG 2006

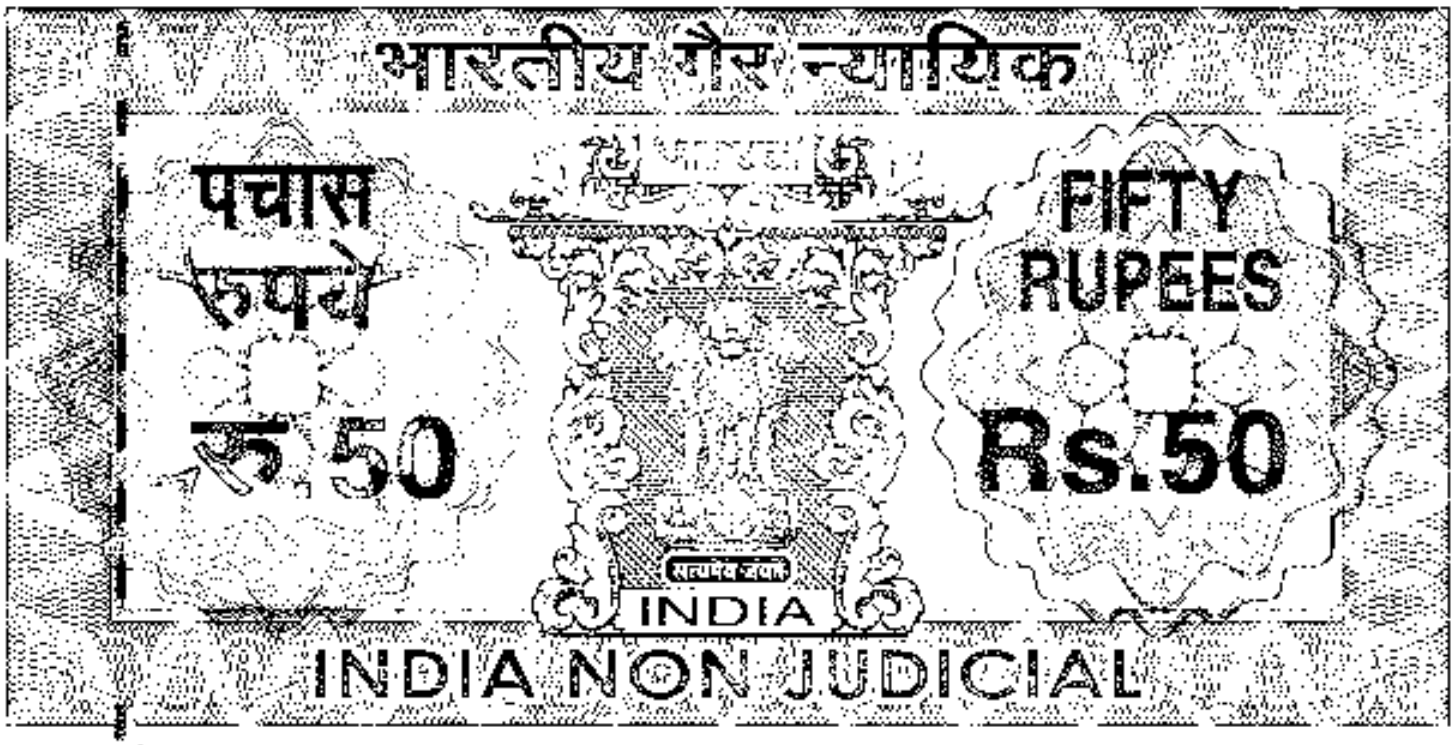

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 801942

(17)

(ख) कोटेक महिन्द्रा बैंक लि0 शाखा डी–960 फैंडस कालौनी, नई दिल्ली चैक नं0 000033 दिनांक 18.08.2006 कुल धनराशि रू0 17,82,749/-(सत्रह लाख बयासी हजार सात सौ उन्चास रूपये) फरीक अव्वल द्वारा सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली गयी है ।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1 I.P. SINGH S/o SH. BEGRAJ SINGH KH/CH/3 Kavi Nagar GZB

गवाह नं0 2 Vivek Tomar S/o S.S. Tomar 262, Lawyers Chamber Delhi High Court New Delhi.03 D/1097/20

तहरीर दिनांक : 18.08.2006 मसौदाकर्ता देवेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

Devendra Singh
Advocate
Ch. No-297, Civil Court
GHAZIABAD. (U.P.)

आज दिनांक **18/08/2006** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **1589**

पृष्ठ सं. **304** से **321** पर क्रमांक **5635**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के. के. यादव

18/8/2006

[illegible] खसरा .... ग्राम सादिकपुर/[illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] बाबत साल 140- 1413 .... फ0

[illegible]	[illegible] क्षेत्रफल [illegible]	[illegible]	खतौनी खाते के वर्गीकरण (भाग 1) के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के (भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल											मिलान खसरे के सम्पर्क के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्यौरा		प्रत्येक खेत के पूरे बने हुये कुओं की संख्या और किस्म	टिप्पणी
						खरीफ			रबी			जायद								
						फसल का नाम	सींचा हुआ	अन सींचा	फसल का नाम	सींचा हुआ	अन सींचा	फसल का नाम	सींचा हुआ	अन सींचा	सींचा हुआ	अन सींचा	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.105	38	खेगराज सिंह जवाहर सिंह, विजयपाल सिंह, सत्यपाल सिंह शिवकुमार सिंह ओमपाल सिंह	—	ट्यूबेल	[illegible] चारा	1.105	—	गेहूं	1.105	—	—	—	—	1.105	—				

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]
1/7/06

नकल सवाल नं० 6479 नकल खतौनी 1384 से 1389 फ० खाता सं० 12

ग्राम – सादिकपुर उर्फ कासीपुर परगना – अरगल तहसील व जिला उन्नाव

मौजी १ ... को ... के ... से हो।

(7)

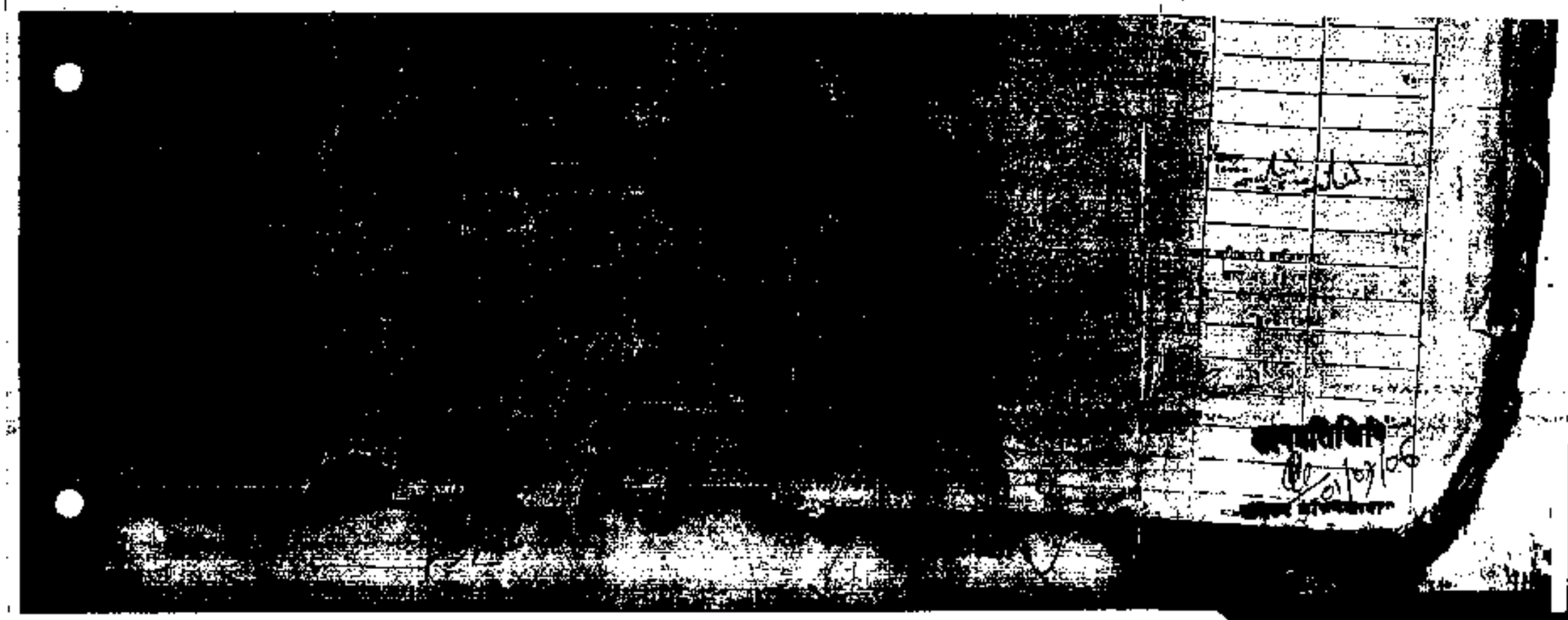

(3)

सेवा में
श्रीमान शाखा प्रबन्धक,
बैंक ऑफ इंडिया हरसाउ जालवाड़,

निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से
लोन पास हो चुका को उठवाना है
कृपा करके दिलाने की कृपा करें
आपकी अति कृपा होगी,

प्रार्थी -
बेगराज पुत्र श्री नारायण
गांव-काजीपुरा
डाक बाबू

दिनांक
27-6-06

Moved against Mr. Begraj S/O Shri Narayansingh
Village- Kajipura,

27/6/2006

उ0 प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप प्रथम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति/कुमारी ---------------- पुत्र / पत्नि / पुत्री ---------------- निवासी ---------------- तहसील ---------------- नगर ---------------- जिला ---------------- जाति ---------------- उ० प्र० के राज्य को पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची I के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है श्री / श्रीमती / कुमारी ---------------- पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची दो (जैसा कि उ0 प्र0 लोक सेवा) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधित) 2002 द्वारा संशोधित की गई है) के आच्छादित नहीं है। इसके माता पिता का निरन्तर तीन वर्ष अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इस अधिक नहीं है तथा इसके पास धन कर अधिनियम 1957 में तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी ---------------- तथा/अथवा उनका परिवार उ० प्र० के ग्राम ---------------- तहसील ---------------- नगर ---------------- जिला ---------------- में सामान्यता रहता है।

यह प्रमाण-पत्र श्री ---------------- जारी कर जारी किया गया।

स्थान

दिनांक : 11/7/06

हस्ताक्षर ----------------

पूरा नाम ----------------

पदनाम ----------------

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी

नकल खतौनी हि० 6479

नकल खतौनी 1390 से 1395 फ० खाता सं० 44

ग्राम – रसूलपुर उर्फ [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

(8)

	२	३	४	५	६		७	८	९	१०	११	
					रु.	पै.						
[illegible]	[illegible] सिंह [illegible] सिंह [illegible]	२२-२K	३०	[illegible]	४४-	८४						
	सिंह [illegible]	मही										
	[illegible] पुत्र [illegible]											
	[illegible] सिंह [illegible] सिंह											
	पुत्र [illegible] सिंह [illegible]											
	महेशरी											
७४	श्रीमती [illegible] पत्नी सरदार श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] लोचन [illegible]	२४ / १३२४ / ८	३५	१	२-४४		[illegible] कर्ता					
							[illegible] कर्ता					

आवेदन सं० [illegible]

नकल तैयार [illegible]

नकल दि० [illegible]

प्रतिलिपिकार

[illegible] राजस्व लिपिक

(4)

सेवा में (राष्ट्रकृत ग्राम)

श्रीमान भूमि विकास बैंक

गांधी नगर गाजियाबाद

निवेदन है कि प्रार्थी को आपके बैंक द्वारा नो ड्यूज की आवश्यकता है इस लिए प्रार्थी को नो ड्यूज दिलाने की कृपा करें

आपकी अति कृपा होगी

प्रार्थी — बागराज सिंह पुत्र नारायणसिंह

गाव- काजीपुरा

डा० डासना

जि० गाजियाबाद

ता० 28/6/2006

Noloan as per Village Wise Register Bagraj S/. Narayan Singh of. Kajipura.

29.6.06

शाखा प्रबन्धक
उ०प्र० सह० ग्राम विकास बैंक लि०
शाखा-गाजियाबाद

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16010210112 ग्राम का नाम : सादिकपुर/काजीपुरा परगना : डासना तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00038	मेगराजसिंह	नरायनसिंह	ग्रामवासी	1385 से	30	1.1050		आदेशानुसार श्रीमान ना0त0म0हो0मि0नं0 196/11.12.2006 को आदेश हुआ कि खाता सं 38 के खसरा नं0 30 रकबा 1.1050हे0 मा0गु0 54.62पैसे से विक्रेता मेगराज सिंह पुत्र नारायन सिंह निवासी सादिकपुर काजीपुरा का नाम खारिज करके क्रेता मै0 क्यूलर रियल स्टेट एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 33 कम्युनिटि सेन्टर एन0एफ0सी0 नई दिल्ली द्वारा सुखबीर सिंह पुत्र स्व0 सरूप सिंह निवासी 131 गोल्फ व्यू अपा0 साकेत नई दिल्ली का नाम बतौर बैनामा दर्ज होवे ह0ए0आर0के0	
	जयकरसिंह	नरायनसिंह	ग्रामवासी						
	विजयपाल	नरायनसिंह	ग्रामवासी						
	सत्यपालसिंह	नरायनसिंह	ग्रामवासी						
	शिवकुमार सिंह	भोपालसिंह	महरोली						
	ओमपालसिंह	भोपालसिंह	महरोली						

कुल गाटे : 1 कुल क्षे : 1.1050 - 54.65

हस्ताक्षर
नरेश गर्ग लेखपाल

25/01/2007